न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2796 दिनांक 23/12/2022

अनवान :–

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सोनाराम वगैरा	बनाम	सोनाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 53/2019 दिनांक : 22.12.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा लाधुसरा के खेत खसरा सं. 791 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 1209/792 रकबा 237.12 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी का सीमाज्ञान करते हुए नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/2799 to 2800 दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण सोनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सोनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:59 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन